संख्या-237/2016/आर-5740/26-3-2016-46(रिट)/2016

प्रेषक,

कामता प्रसाद

अनुसचिव

उत्तर प्रदेश शासन

सेवा में,

निदेशक

समाज कल्याण

उ0प्र0 लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 28 दिसम्बर, 2016

विषयः- रिट याचिका संख्या-50915/2016 आलोक गौतम व 39 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, रिट याचिका संख्या-50916/2016 अखिलेश कुमार व 39 अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा रिट याचिका संख्या-50913/2016 बबिता व्यास व 11 अन्य बनाम उ0प्र0राज्य व अन्य में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-24-10-2016 के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, समाज कल्याण के पत्रांक-4381/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-29-11-2016, पत्रांक-4382/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-29.11.2016 एवं पत्रांक-4383/स.क./शिक्षा-अ/2016-17, दिनांक-29.11.2016 द्वारा उपलब्ध करायी आख्या पर सम्यक्विचारोपरान्त उक्त याचिकाओं में पारित मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक-24.10.2016 के अनुपालन में याची 03 शिक्षण संस्थाओं में वर्ष 2014-15 में अध्ययन प्राप्त अनुसूचित जाति छात्र-छात्रों की दशमोत्तर छात्रवृत्ति एवं शुल्क प्रतिपूर्ति की देय धनराशि कुल रूपये-64.5409 लाख (रू0-31.152$24.017$9.3719) रूपये चौसठ लाख चौवन हजार नब्बे मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2016-17 की अनुदान संख्या-83 के योजनान्तर्गत आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित धनराशि जिसकी स्वीकृति पूर्व में निर्गत की गयी है, से व्यय/भुगतान की अनुमति प्रदान की जाती है।

2- मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक-24.10.2016 के अनुपालन में याची शिक्षण संस्थाओं का प्रत्यावेदन स्वमुखरित अपने स्तर से निस्तारित कराने का कष्ट करें।

उक्त आदेश वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2016/बी-1-746/दस-2016-231/2016, दिनांक 22 मार्च 2016 में निहित प्राविधानों के अधीन निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय

कामता प्रसाद

अनुसचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

पृ.संख्या-237/2016/आर-5740(1)/26-3-2016तद्दिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2. जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, आगरा।
3. वरिष्ठ कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. जिला समाज कल्याण अधिकार, आगरा।
5. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1
6. समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)/गार्ड फाइल।

आज्ञा से

कामता प्रसाद

अनुसचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।